माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर, कैम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक /2016–17 निगरानी R 1268-PBR-17

मेव मुस्लिम पंचायत ग्राम जलोदिया तह. व जिला देवास (म.प्र.) द्वारा अध्यक्ष साबिर खां पिता चांद खां, आयु– 60 वर्ष, निवासी– ग्राम जलोदिया तह. व जिला देवास (म.प्र.) ––– निगरानीकर्ता

––– विरूद्ध –––

1 श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय जिला देवास

2 श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व तह. व जिला देवास

3 श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, तहसील व जिला देवास

–––– प्रत्यर्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959

माननीय अधीनस्थ न्यायालय अपर संभागायुक्त महोदय (राजस्व) उज्जैन (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रं. 489/16–17 अपील मुस्लिम मेव पंचायत विरूद्ध श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय आदि में पारित आदेश दिनांक 06/04/2017 के आंशिक आदेश से असंतुष्ट एवं दु:खित होकर यह निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/268–पीबीआर/17 | जिला देवास

दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–5–2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–4–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा उक्त आदेश से आवेदक का स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि स्थगन देने अथवा नहीं देने संबंधी निष्कर्ष संबंधित पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर होता है और वे स्थगन के संबंध में प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये निर्णय लेते हैं । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	